न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपीडी/टिए/3940/2003/सीकर

पूर्ण सिंह पुत्र गीदाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम थैथलिया, तहसील फतहपुर, जिला सीकर

.....अपीलार्थी

बनाम

1. गीता देवी पत्नि हरलाल सिंह
2. सावित्री पुत्री हरलाल सिंह
   जाति जाट निवासी ग्राम थैथलिया, तहसील फतहपुर, जिला सीकर
3. तहसीलदार, फतहपुर

.....रैस्पो0

खण्ड – पीठ
श्री महावीर सिंह, सदस्य
श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री जी0एस0 लखावत, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री सी0पी0 शर्मा, अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः 05–12– 2018

हस्तगत अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा प्रकरण अपील संख्या 65/2002 शीर्षक गीतादेवी बनाम पूरण सिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 19–07–2003 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, फतहपुर के समक्ष वादी/हस्तगत अपील के अपीलार्थी के द्वारा प्रतिवादी गीदाराम (वादी के पिता) के विरुद्ध विभाजन व घोषणा का वाद आराजी खसरा नम्बर 185/1 रकबा 12–17 बीघा, 57/58/1/2 रकबा 15–05 बीघा के सम्बन्ध में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत भूमि पुश्तैनी है और खसरा नम्बर 185/1 रकबा 12–17 बीघा प्रतिवादी/वादी के पिता द्वारा, वादी को बक्शीश कर अलग से दी है। अतः विभाजन व घोषणा का वादी का वाद डिक्री किया जाए। परीक्षण न्यायालय ने मुताबिक राजीनामा दावा वादी दिनांक 23–10–1989 को प्राथमिक रुप से एवं दिनांक 31–01–1990 को अंतिम डिक्री किया। इस निर्णय के विरुद्ध धारा 96, सिविल प्रकिया संहिता के तहत आवेदन करते हुये गीतादेवी द्वारा धारा 223 के तहत अपील प्रस्तुत की गई जिसे आक्षेपित निर्णय से स्वीकार करते हुए प्रकरण को अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया। इस निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस में निवेदन किया कि वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादी/वादी के पिता के विरुद्ध विभाजन व घोषणा का वाद पुश्तैनी आराजी खसरा नम्बर 185/1 रकबा 12–17 बीघा, 57/58/1/2 रकबा 15–05 बीघा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया था। वादी अपने पिता का विधिक वारिस होने से पुश्तैनी आराजी में वादी का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भी आधा हिस्सा है। परीक्षण न्यायालय में प्रातिवादी पक्ष की ओर से वादी के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर दिया गया था और दावा वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया गया था, जिसके विरुद्ध अपील चलने योग्य ही नहीं थी। रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश करते समय गीदाराम के विधिक समस्त वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया था, अतः अपील चलने योग्य नहीं थी। रैस्पो0 संख्या–1 द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96, सी0पी0सी0 स्वीकार योग्य ही नहीं था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने मियाद के बिन्दु पर भी कोई विवेचन नहीं किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर भी गौर नहीं किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं गीता देवी द्वारा राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया था तथा यह वाद अभी भी लंबित है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाये और अपील स्वीकार की जावे।

5– रैस्पो0 पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा अविधिक रुप से वादी के वाद को डिक्री किया है। रैस्पो0 को इस वाद में पक्षकार ही नहीं बनाया गया है और बिना रैस्पो0 का पक्ष सुने दावे को डिक्री किया गया है। रैस्पो0 द्वारा अपील में सजरा पेश किया है जिसके अनुसार गीदाराम के दो पुत्र हरलाल व पूरण सिंह हुये और रैस्पो0 संख्या 1 मृतक हरलाल की बेवा एवं रैस्पो0 संख्या 2 सावित्री पुत्री होने से प्रश्नगत आराजी में उनका 1/2 हिस्सा निहित है। हमारे द्वारा जो दस्तावेजात अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं उनसे विवादि भूमि बखूबी पैत्रक साबित होती है और हरलाल व पूरण दोनो हीं गीदाराम के पुत्र भी साबित होते हैं। अतः परीक्षण न्यायालय द्वारा हम रैस्पो0 को बिना सुनवाई का मौका दिए जो निर्णय दिनांक 23.10.1989 एवं दिनांक31.1.1990 पारित किया है उन्हें निरस्त करने में व प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रति प्रेषित करने में किसी प्रकार की अयिमितता नहीं की है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन एवं अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादी स्वयं के पिता गीदाराम के विरुद्ध विभाजन व घोषणा का वाद आराजी खसरा नम्बर 185/1 रकबा 12–17 बीघा, 57/58/1/2 रकबा 15–05 बीघा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया और परीक्षण न्यायालय ने मुताबिक राजीनामा दावा वादी दिनांक 23–10–1989 को प्राथमिक रुप से वादी का 1/2 हिस्सा मानते हुये डिक्री किया एवं दिनांक 31–01–1990 को अंतिम डिक्री किया। गीतादेवी बेवा हरलाल द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध धारा 96, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन करते हुये

अपील प्रस्तुत की गई जिसमें सजरा पेश किया गया और सजरे में गीदाराम के दो पुत्र हरलाल व पूरण सिंह होना अंकित किया गया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में विस्तार से विवेचन करते हुये दस्तावेजात व अभिलेख के आधार पर गीतादेवी पत्नी हरलाल होना एवं सावित्री पुत्री गीतादेवी होना अंकित किया है और विवादित आराजी को पैत्रक मानते हुये अपना मत प्रतिपादित किया है कि परीक्षण न्यायालय को प्रकरण में निहित हितबद्ध पक्षकारान को सुनवाई करते हुये निर्णय पारित करना चाहिए था। जैसा कि प्रकरण में निहित तथ्य व परिस्थितियां रही हैं, उन्हें देखते हुये हमारा भी स्पष्ट मत है कि परीक्षण न्यायालय को वर्तमान रैस्पो0 को सुनवाई का मौका देते हुये व उनको अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुये नियमानुकूल निर्णय करना चाहिए था। अतः हमारे सुविचारित मतानुसार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक या विधिकभूल नहीं होने से, हस्तगत अपील के माध्यम से इस निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील सारहीन पाए जाने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल नेहरा)
सदस्य

(महावीर सिंह)
सदस्य